न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर,केम्प भोपाल

प्र0क्र0 /   / पी0बी0आर0 / निगरानी / 2014

R. 3699 - III/14

रेखा राजपूत पत्नि श्री एल एस राजपूत आयु 50 साल,
कृषक ग्राम सतोरनिया तहसील श्यामपुर जिला सीहोर
निवासी 527 / रोहित नगर, फेस--1 भोपाल.

---निगरानीकर्ता

विरूद्ध

महेश पाटीदार वल्द श्री भोजराज आयु 50 वर्ष
निवासी एवं कृषक ग्राम सतोरनिया
तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर।

---अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा--50 भू-राजस्व संहिता-1959

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता राजस्व निरीक्षक मण्डल वृत्त--2 तहसील श्यामपुर ज़िला सीहोर द्वारा ग्राम सतोरनिया प.ह.नं. 19 राजस्व निरीक्षक मण्डल-2 तह0 श्यामपुर जि0सीहोर की भूमि ख0क्र0 112/1 के सीमांकन प्रतिवेदन दि. 21.05.14 से परिवेदित होकर निर्धारित समयावधि में यह निगरानी प्रस्तुत कर रही है।

प्रकरण के तथ्य

1-- यह कि निगरानीकर्ता ग्राम सतोरनिया प.ह.नं.19 रा0नि0म0-2 तह0 श्यामपुर जिला-- सीहोर की भूमि ख0क्र0 112/2/2 रकबा 3.080, ख0क्र0 112/4 रकबा 0.506, एवं ख0क्र0 98-108, रकबा 5.314, ख0क्र0 113 रकबा 0.619 है0, ख0क्र0 115 रकबा 0.753 हे0 कुल किता--5 कुल रकबा 10.272 है0 की अभिलिखित भूमिस्वामी रही है एवं है तथा अनावेदक ख0क्र0 112/1 का अभिलिखित भूमिस्वामी है। (सुसंगत अभिलेख संलग्न है)

2-- यह कि निगरानीकर्ता ने न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा दौराहा तह0 श्यामपुर को अपने स्वामित्व की भूमि ख0क्र0 112/2/2 रकबा 3.080है0, ख0क्र0 112/4 रकबा 0.506 है0 एवं ख0क्र0 98-108, रकबा 5.314 है0, कुल रकबा 8.900 है0 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र दिनांक-30.03.2012 को प्रस्तुत किया। इस पर उनके द्वारा प्र0क्र0 31/अ-12/2011-12 पंजीबद्ध किया गया। निगरानीकर्ता के इस आवेदन पत्र पर नायब तहसीलदार टप्पा दौराहा तह. श्यामपुर के आदेश के अनुसरण में रा0नि0म0-2 टप्पा तह0 श्यामपुर ने अनावेदक एवं अन्य मेढ़ पड़ोसीगण को विधिवत सूचना पत्र का निर्वाह कराने के उपरान्त दि-16.04.12 को आवेदित भूमि का मौके पर सीमांकन करते हुए पंचनामा, फील्ड बुक, अक्स, तैयार कर दिनांक 17.04.2012 को किये गये सीमांकन का प्रतिवेदन न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा दौराहा तह0श्यामपुर को प्रस्तुत किया था। (सुसंगत अभिलेख संलग्न है)

(41)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3699-II/14 जिला - सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6/2/19	इस प्रकरण में दिनांक 20/12/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मं०क्र० 2 श्यामपुर के प्रकरण क्रमांक .... में पारित आदेश दिनांक 21-5-14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है । अतः नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण कलेक्टर जिला सीहोर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 29/4/19 को कलेक्टर जिला सीहोर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य 6/2/19	